Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **जोधपुर में आई.सी.आई.सी.आई प्रोडेशियल लाईफ इन्शोरेंस का सर्वेयर एवं नर्सिंग ऑफिसर 50 हजार रूपये नगद एवं 3 लाख 70 हजार रुपये चैक सहित रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार**

- **आवास एवं अन्य ठिकानों पर तलाशी जारी**

जयपुर, *04 मई, गुरूवार।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर पाली–द्वितीय इकाई द्वारा आज जोधपुर में कार्यवाही करते हुये कृष्ण कुमार मीणा सर्वेयर, आई.सी.आई.सी.आई प्रोडेशियल लाईफ इन्शोरेंस, जोधपुर एवं सत्येन्द्र पांचल नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय चिकित्सालय, प्रतापनगर, जोधपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये नगद एवं 3 लाख 70 हजार रुपये का चैक** की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने बताया कि ए.सी.बी. की पाली–द्वितीय इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसके परिजन की मृत्यु पर मिलने वाली क्लेम को पास करने की एवज में 25 प्रतिशत कमीशन के रूप में कृष्ण कुमार मीणा सर्वेयर, आई.सी.आई.सी.आई प्रोडेशियल लाईफ इन्शोरेंस, जोधपुर एवं सत्येन्द्र पांचल नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय चिकित्सालय, प्रतापनगर, जोधपुर एवं एक अन्य द्वारा 4 **लाख 20 हजार रूपये** रिश्वत राशि की मांग कर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी जोधपुर के **महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा** के सुपरवीजन में एसीबी पाली–द्वितीय इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पारस सोनी** के निर्देशन में द्वारा शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज मय **उप अधीक्षक पुलिस श्री महेन्द्र कुमार** एवं टीम के जोधपुर में ट्रेप कार्यवाही करते हुये कृष्ण कुमार मीणा पुत्र श्री शैतान सिंह निवासी मुण्डिया, पुलिस थाना मुण्डावर, जिला अलवर हाल सर्वेयर, आई.सी.आई.सी.आई प्रोडेशियल लाईफ इन्शोरेंस कम्पनी एवं सत्येन्द्र पांचल पुत्र श्री घेवरराम मेघवाल निवासी मकान नं0 129, आदेश्वर नगर, झंवर रोड़, जोधपुर हाल नर्सिंग ऑफिसर, राजकीय चिकित्सालय, प्रतापनगर, जोधपुर को परिवादी से **50 हजार रूपये नगद एवं 3 लाख 70 हजार रुपये का चैक** की रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। मामले में एक अन्य आरोपी नरेश कुमार कलाल एसीबी की कार्यवाही की भनक लगने पर मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश की जा रही है।

एसीबी के महानिरीक्षक पुलिस श्री सवाई सिंह गोदारा के निर्देशन में आरोपियों से पूछताछ जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री हेमन्त प्रियदर्शी (अतिरिक्त चार्ज महानिदेशक) ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।